

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) नावां जिला डीडवाना-कुचामन
पीठासीन अधिकारी : श्रीमती जीतू कुलहरी (आर.ए.एस.) कोर्ट कैम्प गीठड़ी/खारड़िया/लिवाणा
प्रार्थना पत्र अधीन धारा-136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

- :: आदेश :: -

दिनांक : 30.06.2025

निम्न प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के लिए प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर. एल.आर. एक्ट में प्रस्तुत कर प्रार्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान एवं हिरसा दुरुस्ती इत्यादि दुरुस्त करवाने का निवेदन किया गया। जिसके संलग्न दस्तावेज यथा-नकल जमाबंदी, जन आधार, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, इत्यादि के आधार पर एवं मुताबिक रिपोर्ट संबंधित पटवारी हल्का, संबंधित भू.अ. निरीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार मारोठ की अभिशंथा पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध/दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नाम प्रार्थी	ग्राम का नाम /पटवार हल्का	खाता संख्या	अशुद्ध नाम/प्रविष्टि	शुद्ध व दुरुस्त किये जाने वाला इन्द्राज
गोपाल लाल जाखड़ पुत्र कानाराम जाखड़	सिरसी/लूणवां	179	गोपालराम पुत्र कानाराम जाखड़	गोपाल लाल जाखड़ पुत्र कानाराम जाखड़
रतनीदेवी पत्नी देवकरण जाति खटीक	नावां/नावां	361	रतनादेवी पत्नी देवकरण	रतनीदेवी पत्नी देवकरण

नोट - संबंधित खाता/खसरान नं. के रहन होने की स्थिति में संबंधित बैंक आदेशानुसार अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करे।

यह आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी RAS)
उपखण्ड अधिकारी नावां

क्रमांक : राजस्व/कोर्ट/2025/
प्रतिलिपि :-

दिनांक : 30.06.2025

1. तहसीलदार नावां/उप तहसीलदार मारोठ/लूणवां को भेजकर लेख है कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।
2. संबंधित प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी नावां